न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/59/2025	2025/54	14.01.2025	24.12.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. ग्यारसीराम पुत्र चेता जाति चमार, सा. सौंथली तहसील व जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी
02—श्री ओमप्रकाश यादव —वकील अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पहाडीबास तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न0 653 रकबा 1.26 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 653 रकबा 1.26 है0, भूमि वाके ग्राम पहाडीबास तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का सिरमोली की रिपोर्ट दिनांक 10.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी खसरा नंबर 653 रकबा 1.26 है0 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड वाके ग्राम पहाडीबास का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को कृषि आवंटन नियम 1970 के नियम के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 1.26 है० सन् 1970 में आवंटन हुई थी। उसी समय से आवंटन के बाद से आज तक काश्त करते आ रहे है। आवंटन के नियमों की पालना की है और मौके पर आज भी जुताई कर रहे हैं। अप्रार्थीगण के नाम जो खातेदारी दर्ज है। खातेदारी के लिए अप्रार्थीगण द्वारा सरकार द्वारा जब भी कैम्प लगाये जाते थे उनमें भी अप्रार्थीगण ने खातेदारी के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। अप्रार्थीगण के गांव के बास पहाडी करीब 3—4 किलोमीटर है। इसलिए अप्रार्थीगण ने अपनी आवंटनशुदा आराजी पर बांटे पर काश्त कराते थे। किराये से ट्रैक्टरो से जुताई करते हैं और काश्त करते आ रहे है।

पटवारी हल्का ने बास पहाडी वालों से मिलकर गलत रिपोर्ट दर्ज कराई तथा रिपोर्ट पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर है उनका कोई पता नहीं है। खाली फर्जी हस्ताक्षर कराये हैं। अप्रार्थीगण करीब 55 साल से आज भी मौके पर काबिज हैं। तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र के साथ ना तो आवंटन की नकल लगाई है ना घटना बही की नकल है। प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) के नियमों के विरूद्ध पेश किया गया है एवं अप्रार्थीगण के पास सिंचाई हेतु कोई स्थाई साधन नहीं है। वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है। गंत कई वर्षो से बरसात कम होने के कारण फसल नहीं कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

सके। बरसात होती है तो अप्रार्थीगण काश्त करते है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। इस आराजी के अलावा कोई भी जमीन नहीं है भूमिहीन व्यक्ति है। रिपोर्ट के साथ कोई प्रमाणित प्रति भी संलग्न नहीं है तथा ना ही रिपोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी है। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थीगण को जो रिपोर्ट दी गई उसका कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु किया गया था। परन्तु, पटवारी हल्का सिरमोली की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.12.2024 से यह स्पष्ट है कि मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है और न ही उन्होंने भूमि पर कोई कृषि कार्य (काश्त) किया है। आवंटन की मूल शर्त "स्वयं काश्त" की पालना नहीं की जा रही है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस में तर्क दिया कि वे आवंटन दिनांक से ही काश्त करते आ रहे हैं। उनका गांव 3–4 किमी दूर है, इसलिए वे ट्रैक्टर किराये पर लेकर या बांटे पर खेती करते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्षा न होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से फसल नहीं हो सकी। पटवारी की रिपोर्ट को उन्होंने मिलीभगत और फर्जी बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्ति हैं और इस भूमि के अलावा उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, पटवारी रिपोर्ट और दोनों पक्षों की बहस का गंभीरता से अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सिरमोली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 24.12.2024 के अनुसार विवादित भूमि आराजी खसरा न. 653 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम पहाडीबास मौके पर जोत लगाई है। पटवारी रिपोर्ट में उल्लेखित गवाह जगमाल पुत्र कमला एवं अन्य ग्रामवासियों के बयानों से यह जाहिर हुआ है कि आवंटी/अप्रार्थीगण ग्राम पहाडीबास में निवास नहीं करते हैं और न ही वे स्वयं काश्त करते हैं। उक्त खसरे पर अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त की जा रही है एवं ग्रामवासीयान द्वारा यह अवगत कराया कि उक्त खसरे पर गैर–खातेदार का कब्जा नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व (भूमि आवंटन) नियम, 1970 का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को जीवनयापन हेतु भूमि देना है, बशर्ते वे उस पर स्वयं काश्त करें। अप्रार्थीगण का यह तर्क कि वे दूर रहते हैं और दूसरों से खेती करवाते हैं, स्वयं में आवंटन की शर्तों (नियम 14) के पूर्ण अनुपालन में विफलता को दर्शाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। वे विवादित भूमि पर न तो स्वयं काश्त कर रहे हैं और न ही उनका मौके पर कब्जा पाया गया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार ने इसे आवंटित किया था। अतः प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम पहाडीबास, तहसील व जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 653, रकबा 1.26 हैक्टेयर का आवंटन, जो अप्रार्थीगण (ग्यारसीराम पुत्र चेता) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)